न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर, मुख्यालय,जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : डॉ. लक्ष्मीनारायण बुनकर (आर.ए.एस)
वाद संख्या :03/2025

निर्णय दिनांक : 30.06.2025

1. गोकुल नारायण पुत्र बालू जाति ब्राह्मण
   निवारी ग्राम अरनिया तहसील आमेर जिला जयपुर।

– वादीगण

बनाम

1. महादेव पुत्र ओंकार
2. सालगराम पुत्र ओंकार
3. मुरलीधर पुत्र सालगराम
4. सुरजमल पुत्र सालगराम
5. मदन पुत्र सालगराम
6. शम्भू पुत्र सालगराम
7. हरिनारायण पुत्र मदन
8. मुकेश पुत्र मुरलीधर
   समस्त जाति रैगर निवारी ग्राम अरनिया तहसील आमेर जिला जयपुर।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील आमेर जिला जयपुर

–प्रतिवादीगण

10. मिश्री देवी पुत्री रामेश्वर पत्नि जगदीश जाति ब्राह्मण निवासी बोबाडी तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर।
    हजारी लाल पुत्र रामेश्वर जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम अरनिया तहसील आमेर जिला जयपुर।

–तरतीबी प्रतिवादीगण

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर

वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

वादी की ओर से वाके ग्राम अरनियां तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित भूमि आराजी खसरा न0 430,432,438,439 कुल खसरा किता 4 कुल रकबा 0.62 है. जो कि वादी व प्रारूपिक प्रतिवादीगण सं. 10,11 की अभिलिखित एकल खातेदारिता की भूमि है ,के सन्दर्भ में हस्तगत वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा के प्रस्तुत कर अभिकथन किया गया है कि वादी व प्रतिवादीगण (प्रारूपिक) सं. 10,11 की सहखातेदारिता की भूमि आ.ख.न. 419,421,422,425 लगायत 432,438,439,443,870,871 कुल खसरा किता 16 कुल रकबा 3.87 है. वाके ग्राम अरनिया तहसील आमेर जिला जयपुर मे स्थित है। उक्त वर्णित भूमि मे वादी का 1/2 अभिलिखित हिस्सा निहित है। उक्त वर्णित भूमि के अन्तर्गत उल्लेखित भूमि खसरा न0 419, 430,432,438,439 की पश्चिमी दिशा के सीमा जोड प्रतिवादीगण सं. 1व 2 के खसरा न0 434 रकबा 0.14 है.,खसरा न0 437 रकबा 0.16 है. स्थित है तथा प्रतिवादीगण संख्या 3 लगायत 8 प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के परिवार के सदस्य/पूत्र है। वादी की अभिलिखित, कब्जेशुदा उक्त कृषि भूमि ख.नं. 430, 432,438, 439 व इसके पश्चिम दिशा में स्थित प्रतिवादीगण के ख.नं. 434, 437 के सीमाजोड होने से प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 8 वादी व प्रतिवादीगण सं. 10 व 11 की कब्जेशुदा आराजी में बनी मिट्‌टी की डोल को तोडकर वादी की भूमि में नाजायज तरीके से जबरन प्रवेश कर वादी को बेदखल करने तथा जबरन निर्माण कार्य करने पर आमादा है। प्रतिवादीगण के उक्त ख. नं. 434 व 437 माफी मन्दिर की भूमि है। जिसके वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में रेफरेन्स माफी मन्दिर नोट ख.नं. 434 व 437 पर अंकित है, ऐसी स्थिति में उक्त आराजी कृषि भूमि ख. नं. 434, 437 अब्दुल रहमान प्रकरण से भी प्रभावित होने से प्रतिवादीगण को निर्माण कार्य करने एवं भूमि की किस्म परिवर्तन करने से रोका जाना आवश्यक है। प्रतिवादीगण [illegible] 8 अनुसूचित जाति के सदस्य होने से वादी को झूठे मुकदमे में फसाने तथा अन्य भी वि[illegible] धमकियां देते है तथा आये दिन वादी की भूमि की सीमाओं में दखलअंदाजी [illegible] की सीमाओं मे अविधिक रूप से निर्माण करने पर आमादा है। इसी क[illegible] भी प्रतिवादीगण सं 1 लगायत 8 द्वारा वादी की खातेदारी भूमि पर जबरन [illegible] किया गया। जिसके [illegible] के विरोध करने पर वादी को धमकी दी ग[illegible] कारण उत्पन्न होकर वाद न्या[illegible] के समक्ष स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष का प्रस्तुत करना आवश्यक व लाजमी हुआ है। जिसके बाबत प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है अन्यथा प्रतिवादीगण वादी को उसकी कब्जेशुदा खातेदारी भूमि से बेदखल कर उस पर कब्जा कर लेंगे। जिससे वादी को अपूर्णनीय क्षति पारित होगी जिसकी भरपाई संभव नही होगी। प्रतिवादीगण सं. 10, 11 के हक अधिकार वादग्रस्त भूमि में समान है परन्तु वाद प्रस्तुती पर उक्त प्रतिवादीगण के उपलब्ध नहीं होने से उक्त प्रतिवादीगण को तरतीबी प्रतिवादीगण पक्षकार के

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Laxmi Narayan Bunker
Date: 2025.08.20 13:12:54 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर

Scanned with CamScanner

रूप में संयोजित किया गया है जिनके विरुद्ध कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। अतः वाद वादी स्वीकार/डिक्री फरमाया जाकर प्रतिवादीगण सं 1 लगायत 8 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें कि वे वाके ग्राम अरणियां तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित वादी की कब्जेशुदा खातेदारी भूमि आ.ख.नं. 430,432, 438,439 की सीमाओं में वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलअंदाजी व बाधा कारित ना करें तथा उल्लेखित वादग्रस्त भूमि में किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करें व मौके की यथास्थिति बनाए रखें।

वादी की ओर से अपने वाद पत्र के सन्दर्भ/समर्थन में जमाबंदी संवत 2076–2079 खाता संख्या 197 वाके ग्राम अरणियां तहसील आमेर जिला जयपुर की प्रति प्रस्तुत की है। जिसके अनुसार उल्लेखित वादग्रस्त भूमि आ.ख.न. 430, 432, 438, 439 वादी व प्रारूपिक प्रतिवादीगण संख्या 10 व 11 की अभिलिखित एकल खातेदारिता की भूमि है। इसके अतिरिक्त जमाबंदी संवत 2076–2079 खाता संख्या 236 वाके ग्राम अरणियां तहसील आमेर जिला जयपुर की प्रति प्रस्तुत की है। जिसके अनुसार उल्लेखित भूमि ख.नं. 434, 437 प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की अभिलिखित एकल खातेदारिता की भूमि है। जिसके संदर्भ में नोट सं. 29 से दिनांक 02.08.2019 रेफरेन्स मन्दिर माफी नोट अंकित होकर रेफरेन्स विचाराधीन होना अंकित है।

वाद वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को उपस्थिति व जवाब दावा प्रस्तुत किये जाने हेतु विधिवत नोटिस जारी किये गये। जिसके क्रम में प्रतिवादीगण सं. 1 ता. 8, 10 व 11 की ओर से बावजूद विधिवत सक्षम तामिल के न्यायालय हाजा के समक्ष उपस्थिति प्रस्तुत नहीं की जाने पर प्रतिवादीगण सं. 1 ता. 8, 10 व 11 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिनांक 05.03.2025 व 17.03.2025 को पारित किये गये। उक्त क्रम मे पत्रावली साक्ष्य वादी नियत की गई। जिसके संदर्भ में निरन्तर अवसरों उपरान्त भी वादी की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत नही की जाने पर साक्ष्य वादी दिनांक 30.05.2025 को बंद की जाकर पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई तथा उक्त अनुसरण मे वादी पक्ष की एकतरफा बहस अंतिम सुनी गई।

हमने वादी अधिवक्ता की बहस सुनी, तथ्यों पर मनन किया व पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेजात का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन व तथ्यों के समग्र विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि यद्यपि उल्लेखित भूमि वादग्रस्त आ.ख.न. 430, 432, 438, 439 वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण स. 10 व 11 की अभिलिखित एकल खातेदारिता की भूमि है। जिसके संदर्भ मे प्रतिवादीगण को उक्त भूमि में वादी के कब्जे काश्त में दखलअंदाजी न करने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का वादीगण द्वारा अनुतोष चाहा गया है परन्तु वादी की ओर से ना तो प्रतिवादीगण के तथाकथित अविधिक कृत्यों बाबत कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है ना ही उक्त संदर्भ मे कोई साक्ष्य गवाह ही प्रस्तुत किया गया है। इसके अतिरिक्त भी वादी की ओर से अपनी अभिलिखित खातेदारिता की उपरोक्त वर्णित भूमि के संदर्भ मे कोई सीमाज्ञान रिपोर्ट भी प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे यह प्रमाणित होता हो कि उल्लेखित वादग्रस्त भूमि का विधिवत सीमाज्ञान किया गया है जिसके अनुसार उक्त सीमाज्ञान शुदा भूमि की परिधि मे प्रतिवादीगण द्वारा कोई अविधिक हस्तक्षेप किया जा रहा है जबकि स्वय वादीगण के स्वीकृत अभिकथनों अनुसार वादी व प्रतिवादीगण की भूमि सीमाजोड भूमि है। ऐसी स्थिति मे विधिक सीमाज्ञान के अभाव मे वादी के प्रतिवादीगण द्वारा वादी की भूमि में अविधिक हस्तक्षेप की प्रमाणिकता सिद्ध नही होती है। परन्तु फिर भी चूकि वादी द्वारा स्वय की अभिलिखित खातेदारिता की भूमि की सीमाओं की रक्षार्थ मात्र के संदर्भ मे अनुतोष चाहा गया है। अतः न्याय हित मात्र के दृष्टिगत वाद वादी आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादी की अभिलिखित एकल खातेदारिता की भूमि आ.ख.न. 430, 432, 438, 439 कुल खसरा किता 04 कुल रकबा 8.62 है. वाके ग्राम अरणियां तहसील आमेर जिला जयपुर की सीमाओं में किसी प्रकार की अविधिक दखलअंदाजी व हस्तक्षेप ना करे तथा वादी के [illegible] उक्त वर्णित भूमि की सीमाओं में अपने उपयोग–उपभोग व कब्जा काश्त मे किसी प्रकार की बाधा कारित ना करे, साथ [illegible] को आदेशित किया जाता है कि वह 2 माह की अवधि मे अपनी अभिलिखित खात[illegible] [illegible] के संदर्भ में सक्षम स्तर पर विधिवत आवेदन प्रस्तुत कर सीमाज्ञान करावे। [illegible]

निर्णय आज दिनांक 30.06.2025 [illegible] सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Laxmi Narayan Bunker
Date: 2025.08.20 13:12:54 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
(डॉ. लक्ष्मीनारायण बुनकर)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय, जयपुर

Scanned with CamScanner